मध्यप्रदेश शासन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक: FCS/2/0025/2026-Sec-2-29 भोपाल, दिनांक 23.03.2026

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स

मध्यप्रदेश।

विषय:- कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरो की वितरण व्यवस्था के संबंध में।

वर्तमान भू-राजनीतिक स्थिति एवं भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन में मध्यप्रदेश में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के वितरण के लिए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1 कमर्शियल एलपीजी के वर्तमान खपत एवं आवश्यक सेवाओं की आवश्यकता को देखते हुए कमर्शियल एलपीजी का आवंटन निम्नानुसार प्राथमिकता क्रम अनुसार किया जायेगा:

क्रमांक	प्राथमिकता क्रम	संस्थाओ के नाम	आवंटन प्रतिशत
1.	01	शैक्षणिक संस्था/ चिकित्सा संस्थान (आवश्यकता का 100 प्रतिशत)	30 %
2.	02	आवश्यक सेवाये/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस/ सुरक्षा बल/पुलिस/जेल/सामाजिक न्याय विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग व अन्य विभाग के संस्थान जहां वृद्ध/ महिला/बच्चे निवासरत हैं/ एयरपोर्ट/ रेलवे/दीनदयाल रसोई	35 %
3.	03	a) होटल b) रेस्टोरेन्ट/केटर्स c) ढाबा/स्ट्रीट फूड वेंडर	9 % 9 % 7 %
4.	04	उद्योग (फार्मास्यूटिकल/फूड प्रोसेसिंग/ पॉल्ट्री फूड/ सीड प्रोसेसिंग)	5 %
5.	05	a) अन्य उद्योग (प्रकरणवार निर्णय) b) अन्य (प्रकरणवार निर्णय)	5 %

2 आपूर्ति का तरीका:-

कमर्शियल एलपीजी सिलेडरों की आपूर्ति 5kg, 19 kg, 47.5 kg और 425 kg के पैक्ड सिलेंडरों में की जायगी।

3 जमाखोरी की रोकथाम और आपूर्ति प्रबंधन:-

जमाखोरी को रोकने और समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक उपभोक्ता को आपूर्ति की जाने वाली दैनिक मात्रा संबंधित ओएमसी सॉफ्टवेयर सिस्टम में दर्ज पिछले तीन महीनो के दौरान औसत दैनिक खपत के आधार पर निर्धारित की जाएगी। आपूर्ति ऊपर दी गई प्राथमिकता तालिका में दर्शाए गए सीमा प्रतिशत तक ही सीमित रहेगी।

ओएमसी अपने-अपने सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग अनुरोध स्वीकार करेंगे और रिफिल अनुरोधों का तिथिवार रिकॉर्ड बनाए रखेंगे। प्रत्येक प्राथमिकता के अंतर्गत लंबित आवश्यकताओं को उपलब्धता के अधीन, यथासंभव अगले दिन पूरा किया जाएगा।

4 प्रवर्तन और निगरानी:-

जिला प्रशासन कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों का डॉयवर्जन, जमाखोरी, अवैध भंडारण, कम तौल तथा कालाबाज़ारी रोकने के लिए नियमित निरीक्षण एवं कार्यवाही करेगा। भारतीय न्याय संहिता, 2025, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 और चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।

जिन स्थानों पर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली उपलब्ध है, वहाँ वाणिज्यिक गैस उपभोक्ता द्वारा पीएनजी गैस कनेक्शन हेतु आवेदन करने की स्थिति में वाणिज्यिक गैस सिलेंडर उपलब्ध कराये जायेगें।

5 वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहन देना:-

यथा संभव संस्थानों एवं प्रतिस्ठानों को अस्थायी रूप से वैकल्पिक खाना पकाने की प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

उक्त व्यवस्था आगामी आदेश तक प्रभावशील होगी।

23/3/2026

(बी.के. चंदेल)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग
भोपाल, दिनांक 23.03.2026

पृ. क्रमांक: FCS/2/0025/2026-Sec-2-29

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
2. निज सचिव माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।

4. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग।
6. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग।
7. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग।
8. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
9. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग।
10. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग।
11. प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग।
12. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग।
13. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग।
14. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग।
15. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ एवं मत्स्य पालन विभाग।
16. डीआरएम रेल्वे भोपाल।
17. राज्य समन्वयक इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन भोपाल।
18. प्रबंधक, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, भोपाल।
19. प्रबंधक, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, भोपाल।
20. आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।
21. समस्त, संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
22. गार्ड फाईल।

23/3/2026

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग